



2026:AHC:76073

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 19183 वर्ष 2026

संजय शर्मा

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : धीरेन्द्र कुमार अग्रहरि

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- आवेदक की ओर से दायर पूरक हलफनामे को रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार और श्री शिव कुमार गुप्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री अमित कुमार दुबे की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका मामले में आवेदक को मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है। यह मामला अपराध संख्या 484/2025, बी.एन.एस. की धारा 111, 310(2), 317(3) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत, पुलिस स्टेशन अनूपशहर, जिला बुलंदशहर में दर्ज है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री मौजूद नहीं है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और लगभग 13 दिनों के बाद जांच के दौरान आवेदक का नाम सामने आया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे 80,000 रुपये बरामद किए गए हैं। इसके अलावा यह भी

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बताया गया है कि कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आयोजित नहीं की गई है और इस मामले में चार्जशीट पहले ही जमा की जा चुकी है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का छह आपराधिक मामलों का इतिहास है और वह सभी छह मामलों में जमानत पर है तथा आवेदक 31.12.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक के कब्जे से 80,000 रुपये बरामद किए गए हैं।

6. अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने प्रथम सूचनादाता के घर में घुसकर उसे अंदर बंद कर दिया और घर में रखे घरेलू सामान लूट लिए। जांच के दौरान लगभग 13 दिन बाद आवेदक का नाम सामने आया और आवेदक के पास से 80,000 रुपये बरामद किए गए। यह भी बताया गया है कि कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई है और इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का छह आपराधिक मामलों का इतिहास है और वह सभी छह मामलों में जमानत पर है तथा आवेदक 31.12.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 6765) मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **संजय शर्मा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (क्रिमिनल) नंबर 4 ऑफ 2021 दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को इस आदेश की एक प्रति **बुलंदशहर जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3 जून, 2026

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।